

भवन में प्रवेश के लिए रोजगारदाताओं के क्या दायित्व हैं? (What responsibilities employers have for access to buildings?)

L24 (WHSW Regulations 1992 ACOP) में कहा गया है :

कार्यस्थलों पर कार्यबल के प्रत्येक सदस्य, जिनमें अक्षम लोग भी शामिल हैं, की सेहत सुरक्षा और कल्याण की जरूरतों को पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाता है यही इन रेग्यूलेशनों का लक्ष्य है. इन रेग्यूलेशनों में से कई ऐसे हैं जो वस्तुओं की 'उचित' रूप में अपेक्षा करते हैं, जैसा कि रेग्यूलेशन 2(3) में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक प्रकार से स्पष्ट है कि आने जाने के मार्ग, सुविधाएं और वर्कस्टेशन जो कि अक्षम लोगों द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे होने चाहिए कि उनके प्रयोग के लायक हों.

बिल्डिंग रेग्यूलेशन्स में ऐसी अपेक्षाएं हैं, जिनका अभिप्राय है नए भवन इस प्रकार से बनाए जाएं कि सीमित रूप से चल फिर पाने वालों या कमजोर नजर या कमजोर कान वाले लोगों के लिए भी सुविधाजनक हों. भवनों में प्रवेश के बारे में ब्रिटिश स्टैन्डर्ड भी हैं {BS 5810:1979 Code of Practice for Access for the Disabled to Buildings}

इसके अलावा प्रश्नकर्ताओं को डिसएबिलिटी राइट्स कमीशन को भेजा जाता है :

फोन 08457 622 633

फैक्स 08457 778 878

टैक्सटफोन 08457 622 644

या:

DRC Helpline

Freepost MID 02164

Stratford-upon-Avon

CV37 9HY

ईमेल : enquiry@drc-gb.org

- DRC Website डी आर सी वेबसाइट

अक्षम कामगारों के लिए कौन से परिवर्तन (पहली अक्टूबर की स्थिति के अनुसार) रोजगारदाताओं द्वारा किए जाने हैं

अक्षम लोगों के प्रति रोजगारदाताओं के कर्तव्यों के बारे में 1/10/04 को लागू हुई नई कानूनी अपेक्षाओं के बारे में जानकारी निम्न वेबसाइट पर देखी जा सकती है:

- Government website on Disability अक्षमता के बारे में सरकार की वेबसाइट